माननीय न्यायालय बोर्ड आफ रेव्हेन्यू मध्य प्रदेश ग्वालियर
प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी

2-1895/I/14

1- मनोहरसिंह उर्फ मोहनसिंह पिता प्रहलादसिंहजी सैंधव
2- अमृताबाई विधवा प्रहलादसिंहजी सैंधव
निवासीगण ग्राम बडिया माण्डू तहसील हाटपीपलिया जिला देवास (म0प्र0) ------------ प्रार्थीगण

विरुद्ध

1- आत्माराम पिता बापूलालजी जायसवाल
2- जयनारायण आत्मज बापूलालजी जायसवाल
निवासीगण ग्राम बडिया माण्डू तहसील हाट पीपल्या जिला देवास (म0प्र0) ---------- रेस्पा0

निगरानी आवेदन पत्र अर्धीन धारा 50 मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता सन् 1959 व नाराजी आदेश दिनांक 16/11/2012 अधि0 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन संबंधित प्रकरण क्रमांक 223/11-12 अपील

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नानुसार निगरानी आवेदन पत्र सादर सविनय प्रस्तुत है :-

<u>संक्षिप्त तथ्य</u>

प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बडिया माण्डू तहसील हाट पीपल्या स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 615/3 के क्षेत्रफल 0-12 हे0 के सम्बन्ध प्रतिप्रार्थीगण ने एक आवेदन पत्र अर्धीन धारा 250 मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता अधि0 न्यायालय तहसीलदार महोदय हाट पीपल्या जिला देवास के न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण ने प्रतिप्रार्थीगण की भूमि सर्वे नम्बर 615/3 के क्षेत्रफल 0-12 आरे पर अवैध कब्जा कर लिया है प्रतिप्रार्थीगण द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटाये जाने पर प्रतिप्रार्थीगण ने सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में पेश किया। कथित सीमांकन की कार्यवाही को आधार बताते हुए प्रस्तुत किया जो अधि0 न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 13अ-70/04-05 पर दर्ज किया गया। अधि0 न्यायालय तहसीलदार महोदय हाट पीपल्या द्वारा प्रकरण की बिना तहकीकात किये व प्रार्थी गण को बिना पक्ष समर्थन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये व सीमांकन की कार्यवाही अवैध होते हुए भी उसके आधार पर प्रतिप्रार्थी का उक्त आवेदन पत्र अर्धीन धारा 250 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का

मनोहरसिंह आदि विरूद्ध आत्माराम आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 –एक / 14 जिला – देवास

19–6–14 आवेदक अधिवक्ता श्री अशोक त्रिवेदी को प्रकरण की ग्राह्यता एवं समयावधि के बिंदु पर सुना गया .

2– आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 16–11–12 के विरुद्ध दिनांक 17–6–14 को पेश की गई है, विलंब के संबंध में जो आधार अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में जो आधार दिए गए हैं वे प्रथमदृष्टया समाधान–कारक प्रतीत नहीं होते हैं । विलंब के प्रकरणों में दिन प्रतिदिन का समाधानकारक स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकरण में नहीं है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

प्रशा0 सदस्य